दिनांक 10.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 11/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद**
- **01 माइक्रो एटीएम डिवाईस**
- **04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 10.07.2024 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू पुल अयोध्या–बस्ती मार्ग स्थित खाली मड़हे से 05 अभियुक्तों 1–सुधाकर 2–ऋषभ 3–अनुराग 4–हर्षित उर्फ गौरव 5–प्रशान्त को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद, 01 माइक्रो एटीएम डिवाईस, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04.07.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधाकर निवासी डारी डीहा थाना कलवारी जनपद बस्ती।

2–ऋषभ निवासी सियरापार कूप नगर चमौरा थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

3–अनुराग निवासी बिलवत पतरा बाजार थाना पतराबाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

4–हर्षित उर्फ गौरव निवासी चैनपुरवा थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती।

5–प्रशान्त निवासी सनाहा उपरहर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद।

2–01 माइक्रो एटीएम डिवाईस।

3–04 मोबाइल फोन।

4–घटना में प्रयुक्त 03 मोटर साइकिल आदि।

जनपद एटा/थाना पिलुआ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटा गया डीसीएम वाहन**
- **लगभग 12 लाख 99 हजार रूपये कीमत के लूटे गये पीतल व लोहे के स्क्रैप वजन 15 टन**
- **2200/–रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 10.07.2024 को थाना पिलुआ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला दीप जंगल के पास से 02 अभियुक्तों 1–अभिषेक कुमार 2–पिंटू को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटा गया डीसीएम वाहन, लगभग 12 लाख 99 हजार रूपये कीमत के लूटे गये पीतल व लोहे के स्क्रैप वजन 15 टन, 2200/–रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 09.07.2024 को थाना पिलुआ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पिलुआ पर

अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद डीसीएम वाहन, पीतल व लोहे के स्क्रैप उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पिलुआ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक कुमार निवासी जिमिसपुर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।

2–पिंटू निवासी नगला मोती थाना एका जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लूटा गया डीसीएम वाहन।

2–लगभग 12 लाख 99 हजार रूपये कीमत के लूटे गये पीतल व लोहे के स्क्रैप वजन 15 टन।

3–2200/–रूपये नगद।

4–02 मोबाइल फोन।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना सिविल लाइन

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी ई–रिक्शा**
- **01 अन्य ई–रिक्शा (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 10.07.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ रोड पर सिंधावली ग्राम के रास्ते पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शकील उर्फ समीर घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अली मोहम्मद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी ई–रिक्शा, 01 अन्य ई–रिक्शा (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 05.05.2024 को थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ई–रिक्शा उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त शकील उर्फ समीर के विरूद्ध जनपद सम्भल, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शकील उर्फ समीर निवासी मोहल्ला श्यामनगर थाना लिसाड़ी गेट, जनपद मेरठ।

2–अली मोहम्मद निवासी ग्राम सरावनी थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

बरामदगी

1–लूटी गयी ई–रिक्शा।

2–01 अन्य ई–रिक्शा (बिना नम्बर प्लेट)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना सरोजनीनगर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 9330/–रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 09.07.2024 को थाना सरोजनीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एअरपोर्ट बाउन्ड्री के पीछे मोहल्ला शान्ति नगर से 07

अभियुक्तों 1–शारिक उर्फ शालू 2–मुस्ताक उर्फ गोगो 3–इरफान 4–आफताब उर्फ रिजवान उर्फ दिलशाद 5–जाने आलम उर्फ छोटकउ 6–चॉदबाबू 7–आशिक अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 9330/–रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना सरोजनीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरोजनीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरोजनी नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शारिक उर्फ शालू निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

2–मुस्ताक उर्फ गोगो निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

3–इरफान निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

4–आफताब उर्फ रिजवान उर्फ दिलशाद निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

5–जाने आलम उर्फ छोटकउ निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

6–चॉदबाबू निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

7–आशिक अली निवासी निरूद्दीन चक थाना दरगाह जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 9330/–रूपये नगद।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 414 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब**
- **नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 10.07.2024 को थाना हरीपर्वत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आईएसबीटी बस स्टैण्ड के पास से 04 अभियुक्तों 1–सुनील 2–रजत 3–मनीष 4–दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 414 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी गाँव सैम्पल थाना कलानूर जनपद रोहतक।

2–रजत निवासी खोदपुरा थाना तेरहसतरा जनपद पानीपत हरियाणा।

3–मनीष निवासी कोथकना थाना हिसार जनपद नारनोल हरियाणा।

4–दीपक निवासी सैम्पल थाना कलानूर जनपद रोहतक हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख रूपये कीमत के 414 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब।

2–नगद रूपये, 04 मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन।

जनपद सहारनपुर/थाना नकुड़

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 560 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 10.07.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नवाजपुर के पास से अभियुक्त अमजद उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 11 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 560 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमजद उर्फ लाला निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 11 लाख 20 हजार रूपये कीमत के 560 ग्राम अवैध स्मैक।

➢ **जनपद बांदा/थाना बिसण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–जुगुल सिंह 2–राजा सिंह को धारा 302/34/504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–सबल सिंह को धारा 302/34/504 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना धीना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना धीना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सीताराम 2–रामअवध को आजीवन कारावास व 33–33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रेहान उर्फ नाहिद रजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अनूपशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अनूपशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 328/323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चंचल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बागपत/थाना दोघट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के कारावास की सजा व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना दोघट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/452/324/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हरेन्द्र 2–विरेन्द्र 3–यशवीर को 07–07 वर्ष के कारावास व 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———